बिहार राजभाषा अधिनियम (आफिशल लैंग्वेज ऐक्ट,) 1950

(बिहार अधिनियम 39, 1950)

(इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति 13 नवम्बर, 1950 को प्राप्त हुई और यह अनुमति पहली बार 29 नवम्बर, 1950 के बिहार गजट में प्रकाशित हुई।)

बिहार राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त जानेवाली भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीभूत करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

चूँकि बिहार राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जानेवाली भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीभूत करने का उपबंध करना समीचीन है;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा अधिनियम (बिहार ऑफिशल लैंग्वेज ऐक्ट), 1950 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम करे और राज्य के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों एवं राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी :–

परन्तु राज्य के किसी भाग के लिये इस उप–धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत तारीख या तारीखें उस तारीख से सात वष्र के बाद की नहीं होगी जिस तारीख को यह अधिनियम, उस पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ शासकीय गजट में पहली बार प्रकाशित हुआ है।

2. राजभाषा – भारत संविधान के अनुच्छेद 345, 347 एवं 348 के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होनेवाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगा।